न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 65/2021

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 भूराराम 2 देवाराम 3 मूलाराम पिसरान मेराजराम जाति जाट निवासी राईकों की ढाणी (कगाऊ) 4 अचलीदेवी पुत्री मेराजराम पत्नी दलाराम जाति जाट निवासी डूंगेरों का तला तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 ईमरती पत्नी मेराजराम 2 मेराजराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी राईकों की ढाणी (कगाऊ) तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील वादी पक्ष।

2. श्री मोहनलाल चौधरी, वकील प्रतिवादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 18/08/21

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 05 स्वर्गीय सताराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 02 मेराजराम के पुत्र–पुत्री होने से विधिक वारिस है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की संयुक्त पैतृक भूमि मौजा राईकों की ढाणी पटवार क्षैत्र कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 466/243 रकबा 73.17 बीघा भूमि आई हुई है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कब्जा काश्त है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा निहित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 02 मेराजराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। अतः मौजा राईकों की ढाणी पटवार क्षैत्र कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 466/243 रकबा 73.17 बीघा भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा निहित होने से खातेदारी का घोषित करवाने के अधिकारी है।

वकील प्रतिवादीगण की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त पैतृक भूमि में वाद में अंकित हिस्सा अनुसार वादीगण का हिस्सा है, जिसे घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादी संख्या 01 भूराराम द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र एवं राजीनामा में अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे सामिल मिसल किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए उपर्युक्तानुसार वादीगण का हिस्सा घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादीगण द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

तथा वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के जायन्दा पुत्र–पुत्री होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के साथ वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा राईकों की ढाणी पटवार क्षैत्र कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 466/243 रकबा 73.17 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। **अतः तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 18/04/21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर